संख्या-6/2019/ए-1-277/दस-2019-10(42)/2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2019**

विषय:- दिनांक 31 मार्च, 2019 को कोषागारों/एजेन्सी बैंक की शाखाओं को खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि दिनांक 31 मार्च, 2019 को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश है। वित्तीय वर्ष का अन्तिम दिवस होने के कारण इस दिन अधिक संख्या में सरकारी लेन-देन होने की सम्भावना है। अत: कोषागारों के साथ-साथ प्रदेश में शासकीय कार्य करने वाली समस्त बैंक शाखाओं को दिनांक 31 मार्च, 2019 को खोला जाना आवश्यक है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागारों के साथ-साथ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर-503 के अधीन ऐसे बैंक की सभी शाखाएँ, जो सरकारी लेन-देन का कार्य करती हों, को उक्त तिथि में खोले जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2019/ए-1-277(1)/ दस-2019-10(42)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/ सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुखसचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त वर्णित तिथि को सभी कोषागारों को आवश्यकतानुसार खोलने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करें।

(6) सहायक महाप्रबन्धक, मुद्रा प्रबन्ध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग,

पोस्ट बाक्स संख्या-1379, मुम्बई-400023

(7) उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर- 208001

(8) मुद्राधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई।

(9) मुख्य अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई।

(10) महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, 8वॉ तल, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।